

अनुसूची -अ

जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रूप्यों में)
67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूप्यों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2019 से 30.9.2019 तक							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6500.00	250.00	1200.00	46.15	7700.00	296.15	296.00	अकुशल
7057.00	271.42	1500.00	57.69	8557.00	329.11	329.00	अर्धकुशल
8435.00	324.42	1500.00	57.69	9935.00	382.11	382.00	कुशल
9735.00	374.42	1500.00	57.69	11235.00	432.11	432.00	उच्चकुशल
दिनांक 01.10.2019 से 31.03.2020 तक							
				9.	10.	11.	12.
				13.	14.	15.	
				6500.00	250.00	1450.00	55.76.
				7057.00	271.42	1750.00	67.30
				8435.00	324.42	1750.00	67.30
				9735.00	374.42	1750.00	67.30
				7950.00	55.76.	7950.00	305.76
				8807.00	67.30	8807.00	338.73
				10185.00	67.30	10185.00	391.73
				11485.00	67.30	11485.00	441.73

स्पष्टीकरण-

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांक को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेकर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001त्र100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- इस प्रकार अधिपूजित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

टीप:- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-द में देखें।


(आशुतोष अवस्थी)

श्रम आयुक्त

मध्य प्रदेश ए इंदौर